पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश

दूध एवं दुग्ध उत्पादों में मिलावट पर खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई

प्रदेशव्यापी विशेष अभियान में 489 छापे, 658 नमूने संग्रहित, 9.72 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के खाद्य पदार्थ जब्त

मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त 21.85 लाख रुपये मूल्य के खाद्य पदार्थों का कराया गया विनष्टीकरण

लखनऊ : 25 जून, 2026

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा जारी निर्देशों एवं निर्धारित निरीक्षण बिंदुओं के अनुपालन में दूध एवं दुग्ध उत्पादों यथा दूध, खोया, पनीर, दही, घी एवं स्किम्ड मिल्क पाउडर आदि की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेशव्यापी विशेष औचक निरीक्षण एवं प्रवर्तन अभियान संचालित किया गया।

अभियान के दौरान दूध एवं दुग्ध उत्पादों की निर्माण इकाइयों, बल्क मिल्क चिलिंग सेंटर, थोक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों एवं गोदामों का व्यापक निरीक्षण किया गया। अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत स्वच्छता व्यवस्था, कच्चे माल की गुणवत्ता, अभिलेखों का रख–रखाव, पैकेजिंग एवं लेबलिंग मानकों तथा संभावित मिलावट की जांच करते हुए प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई की गई।

विशेष अभियान के अंतर्गत प्रदेश में कुल 489 छापे मारे गए तथा 658 खाद्य नमूने संग्रहित कर जांच हेतु प्रयोगशाला भेजे गए हैं। कार्रवाई के दौरान कुल 1398.42 क्विंटल खाद्य पदार्थ जब्त किए गए, जिनका अनुमानित मूल्य लगभग 9.72 करोड़ रुपये है। वहीं अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में भंडारित एवं मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाए गए 122.888 क्विंटल खाद्य पदार्थों, जिनका अनुमानित मूल्य लगभग 21.85 लाख रुपये है, का विनष्टीकरण कराया गया।

विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कानपुर देहात में भोले बाबा मिल्क फूड्स इण्डस्ट्रीज से लेबलिंग एवं पैकेजिंग प्रावधानों के उल्लंघन पर 1,31,175 किलोग्राम घी, जिसकी अनुमानित कीमत 9.45 करोड़ रुपये है, सीज किया गया। प्रतिष्ठान से 13 नमूने भी संग्रहित किए गए। बागपत में मेरठ एवं गाजियाबाद से आने वाले वाहनों की जांच के दौरान अस्वच्छ स्थिति में पाए गए क्रीम एवं पनीर के नमूने संग्रहित कर 820 किलोग्राम खाद्य पदार्थ,

मूल्य लगभग 1.79 लाख रुपये, नष्ट कराया गया।आगरा में कैंट रेलवे स्टेशन के निकट लावारिस अवस्था में मिले अस्वच्छ खोये को जब्त कर 4000 किलोग्राम खोया, मूल्य लगभग 9 लाख रुपये, का विनष्टीकरण कराया गया।फिरोजाबाद में पनीर एवं घी निर्माण इकाइयों पर कार्रवाई करते हुए 510 किलोग्राम घी एवं 250 किलोग्राम पनीर, कुल मूल्य लगभग 6.15 लाख रुपये, जब्त किया गया।

गौतमबुद्धनगर में डेयरी प्रतिष्ठानों से नमूने लेने के साथ अस्वच्छ स्थिति में रखे 300 किलोग्राम पनीर, मूल्य लगभग 72 हजार रुपये, नष्ट कराया गया। गाजियाबाद में विभिन्न डेयरी प्रतिष्ठानों से नमूने संग्रहित कर लगभग 4050 किलोग्राम खाद्य पदार्थ, मूल्य लगभग 7. 87 लाख रुपये, जब्त किया गया। मथुरा में कल्लू डेयरी से पनीर एवं दूध के नमूने लेकर अस्वच्छ स्थिति में रखे 1200 किलोग्राम पनीर एवं 3000 लीटर दूध, मूल्य लगभग 5.46 लाख रुपये, नष्ट कराया गया। साथ ही डेयरी का लाइसेंस निलंबित कर निर्माण कार्य बंद कराया गया। मुजफ्फरनगर में घी, वनस्पति एवं मावा के नमूने लेते हुए निर्धारित मानकों के विपरीत पाए गए खाद्य पदार्थों पर कार्रवाई की गई। मेरठ में घी एवं बटर के नमूने संग्रहित कर लगभग 194 किलोग्राम खाद्य पदार्थ, मूल्य लगभग 1.50 लाख रुपये, जब्त किया गया।

अमरोहा में उमंग डेयरी प्रा.लि. से स्किम्ड मिल्क पाउडर का नमूना लेते हुए मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ 2850 किलोग्राम, मूल्य लगभग 9.33 लाख रुपये, जब्त किया गया।

सचिव एवं आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, श्रीमती रोशन जैकब द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मिलावटखोरी एवं खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध प्रभावी एवं निरंतर कार्रवाई जारी रखी जाए। साथ ही यह भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अभियान के दौरान छोटे, खुदरा कारोबारियों एवं हाकरों का अनावश्यक उत्पीड़न न किया जाए तथा केवल नियम विरुद्ध गतिविधियों में संलिप्त खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऐसे अभियान आगे भी निरंतर जारी रखे जाएंगे।

सम्पर्क सूत्र– अजय द्विवेदी/शिखा अवस्थी

राघवेन्द्र/06:45 **PM**